



बिहार सरकार
सिविल विमानन विभाग,
हवाई अड्डा, पटना-800014

TEL. No:- 0612-2225659, 2224423
e-mail-cadbiar@bihar.gov.in

पत्रांक:- सि०वि०नि०(योजना)-10-01/2024-361
प्रेषक,

पटना, दिनांक-21/07/2026

डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे, मा०प्र०से०
सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,
पटना।

द्वारा,

वित्त विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- मांग संख्या-55 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-102-हवाई अड्डा-01 03-हवाई अड्डे विपत्र कोड-55-5053021020103 अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत्यादेश संख्या-40, दिनांक-19.01.2026 को निरस्त करते हुए भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का नामकरण अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा करने तथा इसके निर्माण हेतु भागलपुर जिला में संशोधित 1425.1148 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने हेतु अनुमानित मुआवजा राशि ₹5,56,11,85,728/- (पाँच सौ छप्पन करोड़ ग्यारह लाख पचासी हजार सात सौ अठाईस रुपये) मात्र तथा मुंगेर जिला में 1720.1160 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने हेतु अनुमानित मुआवजा राशि ₹7,73,46,84,361/- (सात सौ तिहत्तर करोड़ छियालिस लाख चौरासी हजार तीन सौ इकसठ रुपये) मात्र अर्थात् कुल 3145.2308 एकड़ भूमि के विरुद्ध कुल अनुमानित मुआवजा राशि ₹13,29,58,70,089/- (तेरह सौ उनतीस करोड़ अठावन लाख सत्तर हजार नवासी रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश -स्वीकृत।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-40, दिनांक-19.01.2026 द्वारा भागलपुर जिला में सुल्तानगंज अंचल अंतर्गत भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के निर्माण हेतु 931 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने के निमित्त अनुमानित मुआवजा राशि ₹4,72,72,00,000/- (चार सौ बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख रुपये) मात्र के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस स्वीकृत राशि के विरुद्ध ₹1,50,00,00,000/- (एक सौ पचास करोड़ रुपये) मात्र जिला पदाधिकारी, भागलपुर को उपलब्ध कराया गया है।

उक्त स्वीकृत्यादेश को निरस्त करते हुए भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा हेतु नये सिरे से भू-अर्जन का प्रस्ताव है।

पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-40, दिनांक-19.01.2026 के विरुद्ध जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायी गयी राशि ₹1,50,00,00,000/- (एक सौ पचास करोड़ रुपये) मात्र का समायोजन प्रस्तावित भू-अर्जन के अंतर्गत किया जाएगा।

3. दिनांक-20.06.2026 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आहूत बैठक में अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के मास्टर प्लान के तहत कुल 3145 एकड़ भूमि की

आवश्यकता बताई गयी है जिसमें से लगभग 60 प्रतिशत भूमि मुंगेर जिलान्तर्गत एवं 40 प्रतिशत भूमि भागलपुर जिलान्तर्गत है।

4. अपर समाहर्ता, भागलपुर के पत्रांक-1330, दिनांक-13.07.2026 तथा समाहर्ता, भागलपुर के पत्रांक-1334, दिनांक-13.07.2026 द्वारा अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के निर्माण हेतु संशोधित 1425.1148 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने के निमित्त अनुमानित मुआवजा राशि ₹5,56,11,85,728/- (पाँच सौ छप्पन करोड़ ग्यारह लाख पचासी हजार सात सौ अठाईस रुपये) मात्र अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया है।

उल्लेख किया गया है कि है मौजा-गनगनियाँ, थाना नं०-77 में रकबा 690 एकड़, मौजा-मंझली, थाना नं०-80 में रकबा 568.1148 एकड़, मौजा-कसवा, थाना नं०-79 में रकबा 88 एकड़, मौजा-हथिऔक, थाना नं०-81 में रकबा 75 एकड़, मौजा-सुजापुर, थाना नं०-78 में रकबा 04 एकड़, अर्थात् कुल 1425.1148 एकड़ की आवश्यकता है, जिसका अनुमानित मुआवजा राशि ₹5,56,11,85,728/- (पाँच सौ छप्पन करोड़ ग्यारह लाख पचासी हजार सात सौ अठाईस रुपये) मात्र है। यह मुआवजा राशि दिनांक-18.06.2026 से प्रभावी MVR दर पर आकलित है।

5. समाहर्ता, मुंगेर के पत्रांक-1104, दिनांक-13.07.2026 द्वारा अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के निर्माण हेतु 1720.1160 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने के निमित्त अनुमानित मुआवजा राशि ₹7,73,46,84,361/- (सात सौ तिहत्तर करोड़ छियालिस लाख चौरासी हजार तीन सौ इकसठ रुपये) मात्र अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया है।

उल्लेख किया गया है कि है अंचल बरियापुर अंतर्गत मौजा-मुरला, थाना नं०-32 में रकबा 16.1250 एकड़, मौजा-मुरला, थाना नं०-33 में रकबा 117.7666 एकड़, मौजा-करहरिया, थाना नं०-27 में रकबा 285.6411 एकड़ तथा अंचल असरगंज अंतर्गत मौजा-अमैया, थाना नं०-116 में रकबा 240.9044 एकड़, मौजा-ढोल पहाड़ी मिलिक, थाना नं०-35 में रकबा 37.8977 एकड़, मौजा-ढोल पहाड़ी माल, थाना नं०-34 में रकबा 404.0455 एकड़, मौजा-चौरगांव, थाना नं०-37 में रकबा 521.0706 एकड़, मौजा-परषोतिमपुर सतघरिया, थाना नं०-38 में रकबा 59.1728 एकड़, एवं मौजा-सजुआ, थाना नं०-53 में रकबा 37.4923 एकड़ अर्थात् कुल 1720.1160 एकड़ की आवश्यकता है, जिसका अनुमानित मुआवजा राशि ₹7,73,46,84,361/- (सात सौ तिहत्तर करोड़ छियालिस लाख चौरासी हजार तीन सौ इकसठ रुपये) मात्र है। प्राक्कलन में अर्जनाधिन भूमि पर अवस्थित संरचना, कुँआ, बोरिंग, वृक्ष इत्यादि का मुआवजा राशि संलग्न नहीं है। यह मुआवजा राशि दिनांक-18.06.2026 से प्रभावी MVR दर पर आकलित है।

6. योजना एवं विकास विभाग के ज्ञापांक-740/लो०वि० दिनांक-15.07.2026 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु अनुशंसा किया गया। इस संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक-15.07.2026 को संपन्न बैठक में मद संख्या-20...के रूप में सम्मिलित करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया। इस संबंध में संचिका सि०वि०नि०(योजना)-10-01/2024 के पृष्ठ-112.../टि० पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

7. उपर्युक्त स्वीकृत राशि ₹13,29,58,70,089/- (तेरह सौ उनतीस करोड़ अठावन लाख सत्तर हजार नवासी रुपये) मात्र का व्यय मुख्य शीर्ष 50 53 नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय राज्य योजना-02-विमानपत्तन-102-हवाई अड्डा-01 03-हवाई अड्डे विपत्र कोड-05-

5053021020103 के अन्तर्गत 53 02 भू-अर्जन मद से वित्तीय वर्ष 2026-27 के उपबंधित राशि से विकलित होगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सिविल विमानन विभाग, पटना, द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर तथा मुंगेर के PD/PL खाता में राशि अन्तरित किया जायेगा।

9. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गयी है। किसी अन्य मद में इस राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इस राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं व्यय विवरणी के साथ कोषागार चालान जिलाधिकारी एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण द्वारा सीधे महालेखाकार को भेजते हुए उसकी एक प्रति इस विभाग को योजना की स्वीकृति के छः माह के अन्दर उपलब्ध कराया जाएगा।

10. इस राशि के अंकेक्षण का अधिकार महालेखा नियंत्रक एवं लेखाकार परीक्षक को होगा।

11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर ~~सचिव, सिविल विमानन विभाग तथा~~ आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-सि०वि०नि०(योजना)-10-01/2024 के पृष्ठ 116/टि० पर दिनांक-20/07/2024 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(Signature)
20/07/24

(डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे)
सचिव

ज्ञापांक:- सि०वि०नि०(योजना)-10-01/2024- 361 पटना, दिनांक-21/07/2024

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/अर्थोपाय शाखा वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना/लेखा शाखा, सिविल विमानन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार/अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी, भागलपुर/मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(Signature)
20/07/24

(डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे)
सचिव